न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.12 / अपील / 2024 (GCMS No. 2024 / 62)	02.04.2024	30.06.2025

1. राजाराम पुत्र सुखदेव माता कालीबाई जाति मीना
   निवासी ग्राम सांवलपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. रामेश्वर पुत्र सुखदेव माता कालीबाई जाति मीना
   निवासी ग्राम सांवलपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।

— अपीलान्ट

बनाम

1. इन्द्रा पुत्री सुखदेव पत्नी बद्रीलाल माता कालीबाई जाति मीना,
   निवासी ग्राम गुमानपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
2. चन्द्रबाई पुत्री सुखदेव पत्नी नन्दकिशोर माता कालीबाई जाति मीना,
   निवासी ग्राम गुमानपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
3. कैलाशी पुत्री सुखदेव पत्नी रामदत्त माता कालीबाई जाति मीना,
   निवासी ग्राम गुमानपुरा, तहसील एवं जिला बून्दी।
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार बून्दी (जिला बून्दी)

— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से श्री कुलदीप सिंह गौड़, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 की ओर से श्री शंभूलाल मेघवाल, एडवोकेट।
रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

यह अपील अपीलांट ने तहसीलदार बून्दी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 570 दिनांक 03.01.2024 ग्राम सांवलपुरा से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की है। अपीलाधीन नामान्तरकरण ग्राम सांवलपुरा में विस्थित आराजी के खातेदार कालीबाई पुत्री खेमा कौम मीना के फोत हो जाने पर उसके वारिसान के पक्ष में तस्दीक किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 12/2024 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No. 2024/62 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो0 जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पो. की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि कृषि भूमि खसरा सं.130 रकबा 2.3301 हैक्टैयर वाकेग्राम सांवलपुरा तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है, उक्त भूमि की पूर्व खातेदार अपीलांटस की माता कालीबाई पुत्री खेमा कौम मीना थी। खातेदार कालीबाई के मरणोपरान्त उक्त कृषि भूमि का नामांतकरण सं. 570 दिनांक 03.01.2024 को अपीलांट सं.1 व 2 एवं रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम हिस्सा 1/5, 1/5 से तस्दीक किया गया है। उक्त भूमि की पूर्व खातेदार अपीलांटस की माता कालीबाई के अपीलांटस राजाराम व रामेश्वर पुरूष सन्तान के रूप में जीवित पुत्र होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक खातेदार के वारिसान में अपीलांटस पुत्रान के साथ साथ पुत्रियों रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 के नाम भी सहखातेदार के रूप में अवैध रूप से नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया है जबकि पक्षकारान मीना जाति के होने से उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम,1956 लागू नहीं होता है अपितु पुरानी हिन्दू विधि की धारा 43 लागू होती है। जिसमें पक्षकारों की अनुसूचित जन जाति में पुरूष उत्तराधिकारियों की मौजूदगी में पुत्रियों को सम्पत्ति में उत्तराधिकार प्राप्त नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलांटस को कोई सूचना नहीं दी और न ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया,जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। जिससे अपीलांटस के सुनवाई के अधिकार का हनन हुआ है। अपील विषयक कृषि भूमि पर अपीलांटस का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में कब्जा होना महत्वपूर्ण आधार होता है किन्तु इसकी जांच किये बिना ही नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांटस को उक्त नामान्तरकरण की कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांटस को नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से के.सी.सी. प्राप्त करने हेतु जमाबंदी की नकल की मांग करने पर पटवारी हल्का द्वारा जानकारी देने पर दिनांक 19.03.2024 को हुई। जानकारी होते ही उक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर अपील मध्य अवधि पेश की गई है। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2022–23 पेज 287 एवं आरआरटी 2025(1) पेज 278 की नजीरें पेश करते हुये अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलांटस के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने का निवेदन किया गया।

अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 लगायत 3 ने बहस के दौरान तक्र प्रस्तुत किये कि अपील को सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर सुना जाकर तथा मियाद के बिन्दू पर निर्णय उपरान्त समाधान हो जाने की स्थिति में ही अपील का गुणावगुण पर विनिश्चय किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा यह अपील करीब 2 माह की देरी से पेश की है, अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया विलम्ब का कारण संतोषजनक नहीं है, ऐसे में इस अपील में मियाद कन्डोन किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलांट द्वारा पेश की गई अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दू पर ही निरस्त की जावे।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील का परीक्षण सर्वप्रथम मियाद बिन्दु पर किये जाने पर प्रकट है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण दिनांक 03.01.2024 की दिनांक 19.03.2024 को जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर दिनांक 01.04.2024 को अपील पेश की गई। लिमिटेशन के संबंध में कई न्यायिक विनिश्चयों में यह माना है कि जानकारी की तिथि से ही अवधि की गणना की जानी चाहिऐ। लिमिटेशन के संबंध में RRD 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में हम हस्तगत अपील का निर्णय मैरिट पर करना उचित समझते है। अतः अपील अन्दर मानते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाता है।

अपील का परीक्षण गुणावगुणों पर किये जाने पर प्रकट है कि ग्राम सांवलपुरा में विस्थित आराजी खसरा सं. 130 रकबा 2.3301 हैक्टेयर भूमि की खातेदार कालीबाई पुत्री खेमा कौम मीना थी। मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर खातेदार कालीबाई का विरासत का नामान्तरकरण इन्द्रा, कैलाशी, चंद्रबाई पुत्रिया सुखदेव एवं राजाराम, रामेश्वर पि0 सुखदेव माता कालीबाई कौम मीना के पक्ष में तस्दीक किया गया। इस पर अपीलांटस को आपत्ति है कि खातेदार मीना जाति की होने पर भी उसके विरासत नामान्तरकरण में पुत्रियां का नाम दर्ज कर दिये जाने से उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध है, जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

इस संबंध में विधिक प्रावधानों के अवलोकन से विदित है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम,1956 की धारा (2) उप धारा (2) में स्पष्ट किया गया है कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यो को, जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) के अर्थ के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निदिष्ट न कर दे। हमारी जानकारी में किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा कोई नोटिफिकेशन पेश नहीं किया गया, जिससे

जिला कलेक्टर, बून्दी

प्रतीत हो कि केन्द्र सरकार ने अन्यथा रूप से निर्देशित कर दिया हो। केन्द्र सरकार द्वारा आदिनांक तक कोई अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से अनुसूचित जन जाति में प्रचलित परिपाटी, रीतिरिवाज तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 से पूर्व की कानूनी स्थिति के आधार पर विरासत को तय किया जाना है। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की मृत्यु होने पर पुरूष उत्तराधिकारी के मौजूद होने की दशा में महिलाओं को सम्पत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाना उचित है।

अतः न्यायिक दृष्टांतों एवं विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदार कालीबाई मीणा का विरासत का तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण दोषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 570 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को विधिक प्रावधानों की पालना करते हुये नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर पत्रावली अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी